संख्या-25/7/95 -का-4-2007

प्रेषक,

पी.एन.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ :: दिनांकः 21 फरवरी, 2007

विषय :- उर्दू अनुवादक -सह- कनिष्ठ लिपिक के पदों पर नियुक्तियां किया जाना ।

महोदय,

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि शासनादेश दिनांक 29 जून,2006 एवं दिनांक 19 दिसम्बर,2006 में स्पष्ट प्राविधान होने के बावजूद ऐसे अभ्यर्थी, जिनकी सेवायें मात्र अदीब-ए-माहिर परीक्षा उत्तीर्ण होने के कारण आस्थगन में रखी गयी थीं, के द्वारा कालान्तर में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर लिये जाने के उपरान्त भी उनकी सेवायें बहाल नहीं की गयी हैं ।

2. उपर्युक्त के संबंध में आपसे यह अनुरोध करने का मुझे पुनः निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 29 जून, 2006 के प्रस्तर-1(2) के अनुसार कार्यवाही तत्काल सम्पादित करते हुए, कृत कार्यवाही की सूचना निम्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उससे अल्प संख्यक आयोग, उत्तर प्रदेश को अवगत कराया जा सके ।

भवदीय

(पी.एन.यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-25/7/95(1)-का-4-2007, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि अपने नियंत्रणाधीन जनपद की सूचना यथाशीघ्र संकलित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

2. सचिव, अल्प संख्यक आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को माननीय सदस्य, अल्प संख्यक आयोग, श्री मुश्ताक अहमद सिद्दीकी के पत्र संख्या-2337/अ.सं.आ./सि./06, दिनांक 23.11.2006 के संदर्भ में माननीय सदस्य को अवगत कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(पी.एन.यादव)
विशेष सचिव।

जनपद का नामः-

प्रारूप

क्र. सं.	अभ्यर्थियों का नाम जिनकी सेवायें आस्थगित की गयीं	अभ्यर्थियों का नाम जिनकी सेवायें बहाल कर वेतन का भुगतान किया जा रहा है	अभ्यर्थियों का विवरण जिनकी सेवायें बहाल नहीं की गयी/ सेवायें बहाल न करने का कारण

हस्ताक्षर एवं मुहर जिलाधिकारी.....